न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1518–दो/09 एवं 1582–दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–11–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 17/2006–07/निगरानी एवं 16/2006–07./निगरानी.

———

निग0 1518–दो/09

सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा,
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मथुराबाई पत्नी हरज्ञान शर्मा

2– कौशलेन्द्र उर्फ कौशलैश शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा,
दोनों निवासीगण ग्राम भगवासा
तहसील गोहद जिला भिण्ड ——— अनावेदकगण

निग0 1582–दो/09

श्रीमती मथुराबाई पत्नी हरज्ञान जाति ब्रा.
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– कौशलेन्द्र उर्फ कौशलैश पुत्र रामनारायण शर्मा,
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

2– सुरेन्द्र शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा,
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता आवेदक/अनावेदक श्री सुरेन्द्र शर्मा की ओर से.
श्री ए. के. अग्रवाल, अधिवक्ता अनावेदक/आवेदक श्रीमती मथुराबाई की ओर से.
श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, अनावेदक कौशलेन्द्र उर्फ कौशलेश की ओर से.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11-3-15 को पारित)

ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 17/2006–07/निगरानी एवं 16/2006–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–11–09 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने पक्षकार एक होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ बहस किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी मृतक भूमिस्वामी हरज्ञान शर्मा थे । उसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत आवेदक श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा विचारण न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिस पर अनावेदक कौशलेन्द्र द्वारा आपत्ति पेश की । तहसीलदार ने विचारोपरांत वसीयतनामा दिनांक 24.4.04 के आधार पर आवेदक सुरेन्द्र एवं अनावेदक कौशलेन्द्र का नामांतरण स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक मथुराबाई एवं सुरेन्द्र शर्मा द्वारा पृथक–2 अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश कीं जो उन्होंने निरस्त कीं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक मथुराबाई एवं सुरेन्द्र शर्मा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपीलें पेश कीं जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध यह निगरानियां इस न्यायालय में पेश की गई हैं ।

3/ आवेदक/अनावेदक सुरेन्द्र शर्मा एवं मथुराबाई की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लिखित किए गए हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सिविल न्यायालय द्वारा भी व्यवहार वाद क्र. 17ए/2006 में पारित आदेश दिनांक 14–12–09 द्वारा उन्हें प्रश्नाधीन भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है ।

4/ अनावेदक कौशलेन्द्र की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जो तथ्यों पर आधारित हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक अधिवक्ता

द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस निर्णय का हवाला दिया गया है उसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील क्रमांक 17/09 पेश की गई है, जो अभी लंबित है । अतः दोनों निगरानियां निरस्त की जायें ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । प्रकरण में 2 वसीयतें हुई हैं । आवेदक सुरेन्द्र द्वारा उसके पक्ष में जो वसीयत है उसके आधार पर नामांतरण की मांग की गई जिस पर अनावेदक कौशलेन्द्र द्वारा दूसरी वसीयत के आधार पर नामांतरण की प्रार्थना की गई । विचारण न्यायालय द्वारा बाद की वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए । इस आदेश की पुष्टि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद क्र. 17ए/2006 में अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–09 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमें विद्वान न्यायाधीश द्वारा आवेदक सुरेन्द्र शर्मा को वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कौशलेन्द्र की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील क्रमांक 17/09 पेश किया जाना बताया गया है इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27–1–10 को दिए गए यथास्थिति के आदेश की प्रति पेश की गई है । उनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण अभी नहीं किया गया है और प्रकरण अभी लंबित है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबध में विवाद अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा तथा राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा । अतः इस प्रकरण में तहसीलदार को न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रकरण में व्यवहार न्यायालय का जो अंतिम निर्णय हो उसके अनुसार कार्यवाही की जाये । उक्त निर्देश के साथ ये दोनों निगरानियां निराकृत की जाती हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर